प्रेस नोट जनपद गाजीपुर

स्वाट टीम व थाना करण्डा पुलिस द्वारा थाना करण्डा क्षेत्र में हुई सनसनी हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल व कब्जे से 01 अदद तमंचा .315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद पल्सर गाड़ी के साथ आलाकत्ल 01 अदद चापड़ के साथ हुआ गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 27.11.2023 को थानाध्यक्ष करण्डा मय टीम के मैनपुर बाजार में चेकिंग करने के दौरान जरिये मुखबिर सूचना मिली कि थानां क्षेत्र में हुई सनसनी हत्या का आरोपी बिहार राज्य भागने के फिराक में जमानिया पुल की तरफ जाने वाला है। तभी एक मोटर साईकिल परमेठ की तरफ से आती दिखाई दी जिसको रोकने का ईशारा किया गया तो वह मैनपुर से गोशन्देपुर की तरफ भागने लगा। जिसकी सूचना थानाध्यक्ष करण्डा के द्वारा R.T. सेट से कन्ट्रोल रूम को बताते हुए बड़सरा चौकी इंचार्ज उ0नि0 अजय यादव को जरिए दूरभाष दिया गया। जहाँ पर SOG प्रभारी व चौकी इंचार्ज बड़सरा द्वारा गोशंदेपुर से मैनपुर की ओर जाने वाली रोड पर चेकिंग की जाने लगी। आती हुई मोटर साईकिल को आगे बढ़कर घेराबंदी की गई तो उक्त बदमाश अपने को दोनों तरफ से घिरा देख अपनी मोटर साईकिल छोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगा। पुलिस आत्मरक्षार्थ व जवाबी कार्यवाही में उक्त बदमाश को गोली लगी , जिससे वह घायल हो गया। जिसको उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। दौराने पूछताछ पर उपरोक्त व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि मैं अपने मामा की लड़की से प्यार करता था। मेरे मामा शाकिब इसका विरोध करते थे, जिन्हें रास्ते से हटाने के लिए दिनांक 25.11.2023 को मैं अपने मामा को विश्वास में लेकर करण्डा क्षेत्र में लाकर गला रेतकर उनकी हत्या कर नदी के किनारे लाश फेंक दिया था। हत्या में प्रयुक्त चापड़ व मृतक का गमछा व कपड़ा मोटर साईकिल के शीट के नीचे है। जिसकी बरामदगी की गई।

घायल अभियुक्त का नाम पता-

मो0 कमाल पुत्र मो0 नजीर नि0 तिसिऔता थाना तिसिऔता जनपद वैशाली बिहार

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा .315 बोर, 03 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद पल्सर गाड़ी बिना नम्बर की और मु0अ0सं0 147/23 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित आलाकत्ल 01 अदद चापड़ व 01 अदद गमछा खूनालूद व 01 अदद शर्ट खूनालूद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0सं0 147/23 धारा 302 भादवि थाना करण्डा गाजीपुर